मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 1724-दस- 66 दिनांक 14-2-1966 (म. प्र. राजपत्र, (असाधारण) दि. 14-2-66 पृष्ठ 499-527) मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) की उपधारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात् :-

नियम

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ- ये नियम **मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966** कहलावेंगे।

नियम 2. परिभाषायें - उन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

2-(1) "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 है;

2-(2) "सभापति" से तात्पर्य समिति के ऐसे सदस्य से है जो धारा 6 के अधीन समिति का गठन करने वाली अधिसूचना द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

2-(3) "संयोजक" से तात्पर्य समिति किसी ऐसे सदस्य से है जो कि धारा 6 के अधीन समिति का गठन करने वाली अधिसूचना द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

2-(4) "खण्डीय वन पदाधिकारी" से तात्पर्य उस वन पदाधिकारी से है जो वन खण्ड का प्रभारी हो। (वन मण्डलाधिकारी);

2-(5) "तेन्दू पत्तों का निर्यातक" (Exporter of Tendu Leaves) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जो स्वयं के उपयोग के लिये मध्यप्रदेश से बाहर तेन्दू पत्तों का निर्यात करता हो, अथवा प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर तेन्दू पत्ते का व्यापार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को तेन्दू पत्ता बेचता हो;

2-(6) "प्ररूप" (Form) से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है;

2-(7) "क्रेता" (Purchaser) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य शासन धारा 12 के अधीन निर्देश दे, तेन्दू पत्ते बेचे गये हों;

2-(8) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

2-(9) "मानक बोरा" (Standard bag) से तात्पर्य ऐसे बोरे से जिसमें पत्तों की 1000 मानक गड्डियां हों, और जहां मानक गड्डियाँ बोरे में भरी जाती हों, वहाँ मानक बोरा के संदर्भ में 1000 गड्डियाँ सन्दर्भ के रूप में लगाया जायेगा;

2-(10) "मानक गड्डी" से तात्पर्य ऐसी गड्डी से है जिसमें 50 तेन्दू पत्ते हों;

2-(11) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" से तात्पर्य तेन्दू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 की उपधारा (2) खण्ड (ख) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा पत्र से है;

2-(12) उन समस्त अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों (Expressions) का जो इन नियमों में प्रयोग में लाई गई हों किन्तु उसमें परिभाषित न की गई हों, क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो कि उनके लिये अधिनियम में दिया हो।

[1]**नियम 3. अभिकर्त्ता की नियुक्ति-** विलोपित [1][M.P. Law Times 1989 Part II P-3]

नियम 4. परिवहन अनुज्ञा पत्र (Transport Permit) निम्नलिखित चार प्रकार के होंगे और उनके प्रत्येक के सामने वर्णित अधिकारियों द्वारा और/या व्यक्तियों द्वारा जारी किये जाएँगे :-

1. म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. 18-2-88-X-III दि. 29-11-88 (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30-11-88 पृष्ठ 2371) के द्वारा नियम 3 तथा फार्म क, ख, ग (A, B, C) विलोपित

ट्रान्सपोर्ट परमिट के प्रकार (Type)	परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी
(1)	(2)
(I) तेन्दू पत्ते के संग्रह केन्द्र (फड़) से गोदामों में परिवहन के लिये-	
(A) मुख्य अनुज्ञा पत्र/फॉर्म -टी. पी. I (मुख्य)	(A) डिवीजनल फारेस्ट ऑफीसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,
(B) सहायक अनुज्ञा पत्र (फॉर्म टी.पी. I सहायक) (Subsidiary) (मुख्य अनुज्ञा-पत्र में दर्शाई मात्रा तक)	(B) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर और/या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति
II. एक संग्रहागार से दूसरे संग्रहागार तथा/ अथवा वितरण केन्द्रों तक परिवहन हेतुः (प.अ.) फार्म (T.P.2)	II डिवीजनल फारेस्ट आफीसर और/या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति (विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अवधि तक)
*III. वितरण केन्द्रों के सट्टेदारों या मजदूरों तक परिवहन के लिये - (फार्म T.P.-3)	III डिवीजनल फारेस्ट आफीसर या कोई व्यक्ति डिवीजनल फारेस्ट आफीसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत (प्रत्येक कन्साइनमेन्ट में परिवहन की जाने वाली अधिकतम मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए)
IV. राज्य के बाहर परिवहन के लिये:-	
*IV (a) मुख्य परमिट - फार्म टी.पी. 4 (मुख्य - Main)	IV(a) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर या कोई अन्य अधिकारी लिखित में डिवीजनल फारेस्ट आफीसर द्वारा प्राधिकृत,
(b) सहायक परमिट फार्म टी पी. -4 (Subsidiary) [अधिसूचना क्र. 18-1-91-X-III efo. 13 जनवरी 1992 (म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 15-1-92 पृष्ठ 51)]	(b) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर या कोई अधिकारी या व्यक्ति-लिखित में D.F.O. द्वारा प्राधिकृत।

(IV (a) द्वारा प्रतिस्थापित। (म. प्र. लॉ. टा. 1992 पार्ट II P. 83/84 सीरियल नं. 42)

परन्तु खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनके द्वारा परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति योग्य नहीं है, तो वह ऐसा अधिकार तुरन्त रद्द कर देगा।

4. (2) ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र को जारी करने के लिये आवेदन पत्र प्ररूप 'घ' में होगा और खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) को प्रस्तुत किया जायेगा जो कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करेगा अथवा अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये किसी अन्य अधिकारी

* अधिसूचना क्र. 18-1-73-X-3-(i) (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) 5-9-1975 पृ. 2008-2009 द्वारा संशोधित

R-3 (10)(i)(iii)(iv)- तेन्दू पत्ते की नीलामी में बोली लगाने वाले ने नीलामी की रकम जमा नहीं की, पुनर्विक्रय में कमी आने पर अन्तर की रकम धारा 155 (b) MPLRC 1959 के अधीन वसूली योग्य नहीं है- **(सुमतिचंद विनोदीलाल (फर्म) वि. स्टेट म.प्र.** - 1995 RN 46 H.C.)